न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 67/2020

उनवान

नन्दकिशोर दत्तक पुत्र नाथूलाल जाति जांगिड नि0 दिलवाडा, नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

1. नाथू पुत्र लादू,
2. गोविन्द पुत्र लादू,
3. रणजीत पुत्र सोदान,
4. सूरमा पुत्री सोदान,
5. **रामपाल,**
6. सोदान,
7. **कमला** पि0 राधाकिशन,
8. भवानी सिंह पुत्र नाथूलाल जाति जाट नि0 दिलवाडा, नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
10. उप पंजीयक, नसीराबाद
11. हंजा पत्नी बीरम, जाति जाट नि0 दिलवाडा, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 8 व 11 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
9 व 10 जरियें राज. पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

—: आदेश :— दिनांक :— 5.2.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदनन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा में प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

हाल खसरा		साबिक खसरा			
हाल ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
1395	0.34	1293 मिन	0.34	1338	4—17—0
1396	0.15	1293 मिन	0.15	1339	3—0—0
1396/1776	0.19	1293 मिन			

उपरोक्त भूमि प्रार्थी के स्व. पिता [illegible] जांगिड़ ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिननांक 03.06.1976 को [illegible] पुत्र उमा, देवकरण पुत्र बख्तावर, हीरा पुत्र बख्तावर [illegible] नामान्तकरण भी रा[illegible] अभिलेख में नाथूलाल के नाम स्वीकृत हुआ है। वर्तमान राजस्[illegible] अभिलेख में खसरा संख्[illegible]6/1776

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:26 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम दर्ज है। लेकिन खसरा संख्या 1395 व 1396 की भूमि का अंकनण पुनः विक्रता के नाम दर्ज हो गया। देवकरण पुत्र बख्तावर, हीरा पुत्र बख्तावर दोनो ही अविवाहित फौत हो गये है। लादू पुत्र उमा के वारिस अप्रार्थी संख्या 1 से 7 है। हाल राजस्व अभिलेख के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थी संख्या 1 नाथू नने अपने हिस्से में 1/2 हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 8 के ननाम विक्रय कर दिया। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रकरण विचारण के दौरान अप्रार्थी अधिवक्ता के आवेदन पर अप्रार्थी संख्या 11 को पक्षकार मुर्तिब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के मूल खातेदार बख्तावर के तीन वारिस क्रमशः देवकरण, हीरा पुत्र व जमनी पुत्री बख्तावर है। जिसमें से देवकरण व हीरा अविवाहित फौत हो गये है। जमनी की भी मृत्यु हो गयी है। जिनके वारिस अप्रार्थी हैं। वंर्किग जमाबंदी में जमनी पुत्री बख्तावर का 1/2 हिस्सा सहवन से दर्ज नही हो सका। आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 1293 रकबा 3–0–0, 1293 मिन 1–3–0 को तत्कालीन खातेदारों से अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के पूर्वज लादू द्वारा दिनांक 20.05.1972 को क्रय की गयी। उक्त आराजी प्रार्थी ननन्दकिशोर द्वारा पुनः गैर कानूनी तरीके से 02.06.1976 को क्रय की गयी। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण भूमि क्रय करने के 45 वर्ष बाद पेश किया है। आराजी मुतनाजा पर अप्राथीगण का कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया प्रकरण में निम्न अनुसार आदेश पारित किया जाता है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u>

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। हाल ख.न. 1395 रकबा 0.34 व 1396 रकबा 0.15 राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 1293 रकबा 4–3–0 प्रार्थी की पिता की क्रयशुदा है जिस बाबत विक्रय पत्र पेश किया है। वंर्किग खसरा नम्बर 1293 का रकबा 1–3–0 प्रार्थी के पिता के नाम खातेदारी दर्ज है। शेष रकबा गैर खातेदारी में दर्ज होने के कारण विक्रय पत्र के अनुसार केता के नाम दर्ज नही हो पाया है। उक्त शेष रकबे पर बाद में खातेदारी दर्ज हुयी। अप्रार्थीगण विक्रय पत्र को फर्जी व कूटरचित बताते है किन्तु विक्रय पत्र पंजीकृत है। जिसके विरूद्व अप्रार्थीगण ने कोई चाराजोही नही की है। अप्रार्थीगण का कथन है कि विक्रय दिनांक को भूमि को बैचान करने का अधिकार नही होने से विक्रय पत्र आरम्भ से ही शून्य है। किन्तु जिस आराजी का विक्रय हुआ है उक्त आराजी के विक्रेता के नाम ही भूमि की खातेदारी प्राप्त की गयी है। अप्रार्थीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 1293 अप्रार्थी नाथू पुत्र लादू द्वारा पूर्व में दिनांक 20.5.72 को क्रय की गयी थी तथा प्राथीर्गण के विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पेश कर निवेदन किया कि [illegible] में वंर्किग खसरा नम्बर अलग टंकित है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल विक्रय पत्र [illegible] वंर्किग खसरा नम्बर 1293 ही अंकित है। साथ ही वंर्किग खसरा नम्बर [illegible] दोनो विक्रय पत्र में समान ही है। दोनो विक्रय पत्र में [illegible] 1338 व 1339 ही अंकित है। वंर्किग खसरा नम्बर 1293 की 1–3–0 भूमि उक्त विक्रय पत्र की पालना में वंर्किग जमाबंदी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:26 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुकी है तथा उसका हाल खसरा नम्बर 1396/1776 रकबा 0.19 भी प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। प्रकरण में उपलब्ध विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी की क्रयशुदा है। अप्रार्थीगध्ण द्वारा उठाये गये खण्डन के तथ्य मूल वाद में ही तय किये जा सकते है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज है अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 7 ने आराजी मुतनाजा का बैचान अप्रार्थी संख्या 8 व 11 को कर दिया है जिसका विक्रय पत्र भी निष्पादित कर दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा के संबध में उभयपक्ष में विवाद है। जिसका गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद व प्रार्थना पत्र में साक्ष्य व जवाब के आधार पर किया जायेगा। किन्तु प्रकरण के मूल निस्तारण तक विवादित सम्पति पर वाद बहुलता को रोकने के उद्देश्य से अंतरिम अस्थायी निषेघाज्ञा जारी रखा जाना न्यायोचित है। अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी की जाती है अथवा भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता ही होगी। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 1395 रकबा 0.34 व 1396 रकबा 0.15 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:26 IST
Reason: SelfAttested